

कार्यालय, चास नगर परिषद  
चास (बोकारो)

पत्रांक 115

दिनांक 08/05/2013

सेवा में

श्री  
पिता राजेश्वर प्रसाद साह  
पता 890 राम नारायण साह  
जामगाँव

विषय :- मौजा नं० जाम० 53 के खाता नं० 102 प्लॉट नं० 1220 रकबा 21<sup>3</sup>/<sub>4</sub> sqm  
डीसमील पर आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक 26-4-13  
गृह प्लान केश नं० बी० सी० 57/2013-14

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भू-खण्ड पर गृह निर्माण की स्वीकृति दिनांक 08-6-13 को अधोलिखित शर्तों के साथ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा - 427 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

01. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व कार्य प्रारम्भ करने की सूचना विहित प्रपत्र में भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है। प्लिथ लेबल तक कार्य हो जाने के पश्चात उसकी फोटोग्राफ कार्यालय में जमा करना होगा।
02. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी की देख-रेख में करायी जाय, ताकि वे समय-समय पर निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सकें।
03. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें।
04. गृह निर्माण पूर्ण रूपेण स्वीकृत नक्शों के अनुसार की करना है।
05. ड्रेनेज की व्यवस्था स्वीकृत नक्शों के अनुरूप करायी जाय एवं नाली को मुख्य नाली से मिलावें।
06. गृह निर्माण का निरीक्षण नगर परिषद के किसी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शों के प्रतिकूल पाए गए निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जायेगा और साथ ही दंड के भागी होंगे।
07. वाटर हारवैस्टिंग हेतु सॉकपिट का निर्माण करावें।
08. पर्यावरण सुरक्षा हेतु कम से कम तीन वृक्ष लगावें।
09. इस नक्शों की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि राज्य सरकार के अधीन कोई नवीनतम नियमावली/रा० म० सं० में निहित मार्गदर्शिका का अनुपालन सख्ती से हो तथा कोई उल्लंघन न हो।
10. नक्शा की स्वीकृति भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगी।
11. भवन निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व श्रम निबन्धन कराते हुए झारखण्ड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए न्यूनतम लागत (रु० 800/- प्रति वर्गफीट की दर से) का 1% प्रतिशत उपकर जमा करने की जिम्मेवारी आपकी होगी।
12. G+3 से अधिक भवन निर्माण का ले-आऊट के पूर्व सक्षम एजेन्सी से Soil Bearing Capacity Test कराते हुए उसकी एक प्रति नगर परिषद को अवश्य समर्पित करें।

अनु० :- यथोपरि

कार्यपालक पदाधिकारी  
चास नगर परिषद।

ज्ञापक...../दिनांक...../

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ अग्रसारित एवं सहायक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
चास नगर परिषद।